भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष क्रमांक (0755) 2478250, 51,52, 53

ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु ई–निविदा (द्वितीय) आमंत्रण की सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से Two bid system ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के अंतर्गत दो वर्ष के लिए उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन ई–निविदा (द्वितीय) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रू 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट **http://www.mpcdf.nic.in** पर पठन हेतु उपलब्ध है।

ई–टेण्डर क्रमांक : BSDS/Admn/2020/03

(1) कार्य का विवरण, तकनीकी अर्हतायें एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरण अनुसार।

(2) कार्यस्थल का नाम :
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र बैतूल एवं 20 दुग्ध शीतकेन्द्र ।

(3) निविदा की समय–सारणी :–

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	01.02.2020 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.02.2020 दोपहर 3.00 बजे तक
3	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	18.02.2020 दोपहर 3.00 बजे से
4	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोधर राशि (Earnest Money)	रूपये 6,00,000/– (रूपये छह लाख मात्र)
5	निविदा प्रपत्र की वैधता की अवधि	निविदा खोलने से 6 माह
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

1. **प्रस्तावना :–**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से Two bid system "दो बिड पद्धति" (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के अंतर्गत दो वर्ष के लिए उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु (द्वितीय) निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

2. **अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :–**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष नं. (0755) 2478250, 51,52, 53

3. **ई–टेण्डरिंग हेतु वेबसाईट :**

http://www.mptenders.gov.in

3.1 **निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी :–**

श्री निकेत अग्रवाल, प्रबंधक (प्रशासन)
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल– 462024 म.प्र.
दूरभाष क्रमांक (0755) 2478250, 51,52, 53
E-Mail ID : bsdsadm@gmail.com.

*निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.nic.in पर पठन हेतु उपलब्ध है।

4. **ई–टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :–**

4.1 निविदाकर्ता राशि रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

4.2 निविदा के साथ ई–निविदा पोर्टल पर राशि रूपये 6,00,000/– (रूपये छह लाख मात्र) की धरोहर राशि ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य है।

4.3 निविदा आमंत्रण हेतु समय–सारणी :–

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	01.02.2020 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.02.2020 दोपहर 3.00 बजे तक
3	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	18.02.2020 दोपहर 3.00 बजे से
4	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोधर राशि (Earnest Money)	रूपये 6,00,000/– (रूपये छह लाख मात्र)
5	निविदा प्रपत्र की वैधता की अवधि	निविदा खोलने से 6 माह
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल

5. कार्य का विवरण :–

5.1 निविदाकार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों **(प्रदर्श–1)** में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार भुगतान करने की शर्त के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में प्रतिदिन 170 सुरक्षाकर्मियों (अनुमानित) की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी :–

स्थान	उच्च कुशल सुरक्षाकर्मी	कुशल सुरक्षाकर्मी	अर्द्धकुशल सुरक्षाकर्मी	अकुशल सुरक्षाकर्मी	कुल सुरक्षाकर्मी
मुख्य डेयरी संयंत्र	3	–	100	–	103
पशु आहार संयंत्र पचामा	–	1	9	–	10
मिनी डेयरी संयंत्र/ समस्त दुग्ध शीतकेन्द्र	1	6	40	–	47
विविध	1	–	9	–	10
कुलयोग	5	7	158	–	170

सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र (पचामा) के संयंत्र भवन, गोडाउन, कार्यालयीन संपत्ति एवं परिसर की दिन –रात सुरक्षा व्यवस्था करेगा। सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता समय–समय पर संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों के संचालन एवं गतिविधि स्तर के अनुसार घटाई–बढ़ाई जा सकेगी।

5.2 निविदाकार द्वारा प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख / प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति/आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर उक्त सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

5.3 यदि सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करने में सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सुरक्षा ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

5.4 सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को निम्नानुसार योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा –

(अ) सुरक्षा अधिकारी :– एनसीओ, सूबेदार से कम रेक न हो अथवा समकक्ष।

(ब) सुरक्षा पर्यवेक्षक :– नायक की रेंक से कम न हो अथवा समकक्ष।

(स) सुरक्षा गार्ड :–

(1) 12 वीं पास एवं

(2) एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का 3 वर्ष का अनुभव हो एवं

(3) A उँचाई – 5 फिट 6 इंच न्यूनतम
B सीना – 32–34 इंच न्यूनतम
C वजन – कम से कम 50 kg. लंबाई के अनुपात में

(द) गनमैन :– गनमैन रखे जाने का लायसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्य पर रखे जाने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उक्त सुरक्षाकर्मियों की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। उपरोक्त मापदण्डों को आवश्यकता अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6. ई.एम.डी. राशि का जमा किया जाना :–

6.1 निविदाकार को ई–निविदा पोर्टल पर धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 6,00,000/– (रूपये छह लाख) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

6.2 National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मो सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी।

6.3 बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा।

6.4 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समय सीमा में वापस की जावेगी।

6.5 निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा।

7. सुरक्षा निधि :–

7.1 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 15.00 लाख (रु पंद्रह लाख मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। यदि निविदाकार चाहे तो, सुरक्षा निधि (Security Deposit) एफ.डी.आर (FDR) में, जो कि निविदाकर्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त नाम से दो वर्ष छः माह या अनुबंध अवधि तक के लिये वैद्य होगी, जमा कर सकता है। एफ.डी.आर (FDR) निविदाकार द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में डिस्चार्ज / रिलीज (Discharge/Release) करके संघ में जमा कराना होगा। अनुबंध की अवधि में वृद्धि किये जाने पर तद्नुसार एफ.डी.आर (FDR) का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7.2 निविदा खुलने के पश्चात एवं निविदा की वैधता की अवधि में निविदाकार द्वारा निविदा में संशोधन किये जाने पर, जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं है, धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा निधि जमा नहीं करने अथवा 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सफल निविदाकार (एल–1) की पात्रता समाप्त मान्य करते हुये उनकी धरोहर राशि (Earnest Money) राशि जप्त कर ली जावेगी।

7.3 सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात्, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका सुरक्षाकर्मियों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि विधिवत रूप से जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी।

7.4 जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक अर्हताएं :–

8.1 कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशिन) एक्ट 1970 के तहत् निविदाकार के पास सुरक्षा ठेका संचालन संबंधी जीवित लायसेंस होना आवश्यक है।

8.2 निविदाकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.3 निविदाकार के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.4 निविदाकार के पास जी.एस.टी. का पंजीयन होना आवश्यक है।

8.5 निविदाकार का गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रूपये तीन करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।

8.6 निविदाकार का गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिए।

8.7 निविदाकार द्वारा प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों, का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय का एक सिंगल अनुबंध (कार्यानुभव) होना अनिवार्य है।

8.8 निविदाकर की फर्म/संस्था का पंजीयन म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत अनिवार्यतः होना चाहिये।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा के साथ देना अनिवार्य है। निविदा में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं एवं संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी हेतु **प्रपत्र क्रमांक 01** का अवलोकन करें।

9. निविदा की सामान्य शर्ते :–

9.1 निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा ।

9.2 निविदाएं खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हो और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता **है**। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9.3 निविदाकार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।

9.4 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को सुरक्षा ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा। साथ ही दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं।

9.5 यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

9.6 यदि किसी निविदाकार द्वारा 0 (शून्य) प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 29(1) 2014–पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)।

9.7 यदि ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे भोपाल शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

9.8 प्रत्येक पाली में सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

9.9 सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होगा। साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र पचामा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। सुरक्षा ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

9.10 श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को दुग्ध संघ में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

9.11 सुरक्षा ठेकेदार को कार्य हेतु प्रबंधन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।

9.12 ठेके के दौरान सुरक्षा ठेकेदार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य पर नहीं ले सकेगी। साथ ही सुरक्षाकर्मी, श्रमिक ठेका अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे।

9.13 निविदाकार द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी

9.14 यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है, तो उसकी निविदा निरस्ती योग्य होगी।

9.15 निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के हस्ताक्षर सत्यापन होना आवश्यक है।

9.16 निविदा में किसी प्रकार कांट–छांट या किसी अंश को जोड़ने पर उसे निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।

9.17 ऐसी निविदा जिनमें किसी शर्त का उल्लेख है, मान्य नहीं होगी। अतः जो टेण्डर निविदा के नियम व शर्तो को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।

9.18 अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

9.19 भविष्य में निर्मित आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/ नियमों/ अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

9.20 यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है, तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

9.21 यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन'' हेतु अध्यक्ष/प्रशासक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

10 मूल्यांकन की प्रक्रिया :—

10.1 निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी उपस्थित निविदाकारों को दी जायेगी।

10.2 सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जावेगी।

10.3 जो निविदाकार तकनीकी बिड की शर्तो को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं फर्मस की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। वित्तीय बोली में निविदाकारों द्वारा दी गये दर को उपस्थित निविदाकारों को बताया जायेगा। मूल्यांकन समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।

10.4 सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात न्यूनतम बोली लगाने वाले सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा।

10.5 निविदा खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती हैं और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम् निविदाकर्ता को निगोसिएशन के लिये बुला सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

11 अनुबंध की अवधि / निरस्तीकरण :—

11.1 यह अनुबंध दो वर्षो के लिए होगा तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर एक—एक वर्ष के आधार पर दो वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप **प्रदर्श—2** पर उपलब्ध है।

11.2 यह अनुबंध सुरक्षा ठेकेदार अथवा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा दो माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंधकर्ता को सभी नियोजित सुरक्षाकर्मियों की वापसी सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से करना होगी।

11.3 सफल निविदाकार को, निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल स्वयं के व्यय पर राशि रू 1,000/— (रू एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

11.4 अनुबंध के संबंध में होने वाली सभी वैधानिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

11.5 निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का होगा।

12. ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात सुरक्षा ठेकेदार के लिए नियम एवं शर्ते :–

12.1 प्रत्येक माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

12.2 प्रदाय किये गये सुरक्षाकर्मी सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।

12.3 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निश्चित रहेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा मजदूरी राशि में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा तदानुसार सुरक्षाकर्मियों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

12.4 निविदाकार कार्य का विवरण जानने हेतु निविदा भरने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।

12.5 सुरक्षा ठेकेदार किसी भी स्थिति में अनुबंध को या उसके किसी अंश को बिना भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म/एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

12.6 सुरक्षा ठेकेदार को यह वचन पत्र व सहमति देना होगी की उसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षाकर्मी द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।

12.7 सफल निविदाकार अर्थात सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

12.8 निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

13 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं दायित्व :–

13.1 भोपाल डेरी प्लांट परिसर/ संबंद्ध दुग्ध शीत केन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की चोरी न हो इसकी जबावदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :–

(क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेयरी डाक, स्टोर, या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिर्टन स्लिप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेयरी डाक से या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जाये एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे।

(ख) क्रेट/केन/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मलित की जावेगी।

(ग) डेयरी डाक से क्रेट/केन/ढक्कन, डेरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबंधक (उत्पादन) उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबंधक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकांउट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा।

उपरोक्त बाहर गये क्रेट /केन/ढक्कन डेरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेरी प्लांट में इन क्रेट /केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबंधक (उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंको एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा । संबधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर, मय दिनांक के करेंगे।

(घ) सुरक्षा एजेंसी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट /केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेंसी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबंधक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा। इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली वर्तमान क्रय दरों से सुरक्षा एजेंसी के अगले माह के देयकों से की जावेगी।

उत्पादन शाखा से संपादित कार्यो बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली प्रदर्श 3 पर संलग्न है।

13.2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित किये जाने हेतु उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा तथा प्रबंधन को तद् विषयक सूचना देनी होगी। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा। साथ ही समय समय पर संघ के कर्मचारियों को अग्नि शमन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

13.3 सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

13.4 सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत, निषेधित एवं नशा करके कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे । सुरक्षा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति हथियार, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ व अन्य कोई अवांछित वस्तु लेकर परिसर में प्रवेश न करे। उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही करें। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

13.5 सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि, वे कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करे। डेयरी परिसर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे एवं दोषी व्यक्ति के बारे में प्रशासन को अवगत करावें। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

13.6 सुरक्षा ठेकेदार दुग्ध संघ परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वे विफल होता है तो प्रबंधन द्वारा प्रति प्रकरण रू. 1000/– का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर किया जाकर वसूल किया जावेगा।

13.7 दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास/मांगपत्र/आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य साम्रगी प्रदाय की जाती है, इसी प्रकार दुग्ध संघ से प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि, जो सामान गेटपास/चालान/ मांगपत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने, कम या अधिक होने पर जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी । सुरक्षा ठेकेदार को संघ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को गेट पास जारी करना होगा तथा वाहनों की एन्ट्री भी अनिवार्यतः करना होगी।

13.8 सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट आने–जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14 उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों के लिये नियम एवं सेवा शर्तें :–

14.1 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के लिए 8 घंटे का कार्य अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी कार्य के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा ।

14.2 सुरक्षाकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई सुरक्षाकर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना सुरक्षा ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये

सुरक्षाकर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षाकर्मी रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा संबंधित सुरक्षा को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।

14.3 संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। सुरक्षाकर्मी द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति प्रकरण का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

14.4 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

14.5 संयंत्र परिसर में कोई भी सुरक्षाकर्मी टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।

14.6 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, पशु आहार संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्योहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारू संचालन हेतु सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।

14.7 अनुबंधित सुरक्षाकर्मियों के भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।

14.8 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है।

14.9 सुरक्षाकर्मियों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार को उक्त सुरक्षाकर्मियों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।

14.10 सुरक्षाकर्मियों को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत सुरक्षा ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

15. सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्तें :–

15.1 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, प्रभारी पशु आहार संयंत्र

पचामा, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

15.2 सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, सुरक्षा कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

15.3 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

15.4 सुरक्षा ठेकेदार को श्रम नियमानुसार सुरक्षाकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम का भुगतान करना होगा।

15.5 सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि सुरक्षा ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि सुरक्षा ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ सुरक्षा ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो सुरक्षा ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी।

15.6 यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

15.7 सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।

15.8 सुरक्षाकर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी ।

15.9 सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौत्रा लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे प्रत्येक त्रैमास के लिए टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

15.10 सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 50,000/— प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

16. कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों के संबंध में सुरक्षा ठेकेदार के दायित्व :—

16.1 सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

16.2 सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय—समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16.3 सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गय समस्त सुरक्षाकर्मियों (पुरूष एवं महिला) को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, जूते, टोपी, बेल्ट, नाम पट्टी इत्यादि) एवं प्रोटेक्टिव गारमेंटस अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि सुरक्षाकर्मी निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो रू. 100/— प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति सुरक्षाकर्मी राशि रू 1,500/— के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।

16.4 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षाकर्मी—वार राशि रू. 1000/— तक की पेनाल्टी सुरक्षा ठेकेदार पर लगाई जाएगी। सुरक्षा ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब—कोड़ **(SubCode)** तत्काल लेना आवश्यक होगा, जिससे कि सुरक्षाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित सुरक्षाकर्मी को भुगतान किया जायेगा।

16.5 सुरक्षाकर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक से अधिक पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक

सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

16.6 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी सुरक्षा ठेकेदार को करना होगी।

16.7 सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे सुरक्षाकर्मी (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित किये गये आयु, शिक्षा एवं अनुभव/कौशल की अर्हताओं के अनुरूप हो।

16.8 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

16.9 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

16.10 यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

16.11 सुरक्षाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/ समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

16.12 किसी सुरक्षाकर्मी के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर सुरक्षा ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

16.13 सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षाकर्मियों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति सुरक्षाकर्मी रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षाकर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च सुरक्षा ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16.14 सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षा देना होंगे। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षाकर्मी डेरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा दुग्घ संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षा तत्काल

हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति सुरक्षा राशि रूपये 1,000/— तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

16.15 प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षाकर्मी आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि सुरक्षा ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

16.16 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व गत माह में संयंत्र एवं अन्य स्थानों पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर, शाखावार/पशु आहार संयंत्रवार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीतकेन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

16.17 सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक सुरक्षा के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्घ संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का पृथक–पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि '' इस चालान द्वारा माह ....में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र पचामा/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल .... (संख्या) सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ/ ई.एस.आई अंशदान (....... प्रतिशत) राशि रु. .... जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षाकर्मी का नाम छोडा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।

सुरक्षा ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में सुरक्षा ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।

16.18 ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत सुरक्षा ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है तथा सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. शास्ति / अर्थदण्ड :–

17.1 प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी.एम. में दर्शित मात्रा के अनुसार ही माल लोडिंग कराना सुरक्षा ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा । दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर–बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है, तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

17.2 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/बाल/कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी।

17.3 सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षाकर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं लिप्त सुरक्षाकर्मी को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।

17.4 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ की सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं संभावित चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलंब युक्ति–युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। प्रकरण में दुग्ध संघ द्वारा घटना की जांच की जावेगी तथा जांच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हांनि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में दुग्ध संघ सक्षम होगा।

17.5 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निविदा/अनुबंध में उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली दुग्ध संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

17.6 निविदा/अनुबंध की शर्तों में जहां उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नही है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –

क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रू
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000/–
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000/–
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000/–
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000/– (प्रत्येक बार)

उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा, जो कि दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

17.7 सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर दो माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

18 ठेके पर रखे गये सुरक्षाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–

18.1 सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी सुरक्षाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबावदारी

सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।

19 सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल – 462024

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....
....

दूरभाष / मो.नं. :– ....

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

प्रपत्र –01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मै एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 6,00,000/– (रू. छह लाख) को Online जमा कर पावती संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र।	है/नहीं
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
4	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं. ।	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. ।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं

9	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रू तीन करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/ 3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	है/नहीं
10	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में गत 02 वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों, जिसमें से 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय का एक सिंगल अनुबंध (कार्यानुभव) होना अनिवार्य है। (संस्था का नाम व पता जहॉ सुरक्षा प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
13	म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत फर्म/संस्था का पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिये।	म.प्र. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (नवीनीकृत) संलग्न किया जावे।	है/नहीं
14	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ–पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
15	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
16	क्या आपकी संस्था भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

17	क्या आपकी संस्था एम.पी.सी.डी.एफ / इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर/ ग्वालियर/ बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
18	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ ग्वालियर /बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
19	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
20	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी. डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष/मो.नं. :– ....

❖ **तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –**

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 14, 18 एवं 20 हेतु पृथक–पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रदर्श 4, 5 एवं 6 का अवलोकन करें।

2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।

3. ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01** ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 20 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये **'' ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय के लिये ई–निविदा (द्वितीय) ''** लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 17.02.2020 को दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा । निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।

4. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01** ''तकनीकी अर्हतायें'' में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्केन कॉपी एवं भाव पत्र **(प्रपत्र क्रमांक 02)** को ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।

5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।

6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।

7. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित सुरक्षाकर्मियों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।

8. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 01 में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि **(Earnest Money)** राजसात की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सीील

स्थान :— नाम :—

दिनांक :— पत्राचार हेतु पता :— ....
....

दूरभाष / मो.नं. :— ....

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

<u>प्रपत्र–02</u>

''भाव पत्र / दर''

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

<table>
<tr><th>क्र</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
<table>
<tr><th>क्र</th><th>सुरक्षाकर्मी का विवरण</th><th>दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सुरक्षा अधिकारी</td><td>उच्च कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक सुरक्षा अधिकारी</td><td>उच्च कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गनमैन</td><td>उच्च कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सुरक्षा पर्यवेक्षक</td><td>कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक</td><td>कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सुरक्षा गार्ड</td><td>अर्द्धकुशल श्रेणी</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस</td></tr>
<tr><td>3</td><td>टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू. 1,00,000/– प्रति सुरक्षाकर्मी)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान</td></tr>
</table>

नोटः–

1	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को संयंत्र में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षाकर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्नलिखित मदों में अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार होगा :–

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :—(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफलाईन भाव दर प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस निविदाकार को निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :— नाम :—

दिनांक :— पत्राचार हेतु पता :— ....
....

दूरभाष / मो.नं. :— ....
....

प्रदर्श–01

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

(अ) दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची :–

1. आष्टा
2. नरसिंहगढ़
3. राजगढ़
4. गुना
5. हरदा
6. मुलताई
7. लटेरी
8. गैरतगंज
9. मालीवाया
10. विदिशा
11. शुजालपुर
12. बरेली
13. जीरापुर
14. कीरतपुर
15. सिलवानी
16. सोहागपुर
17. ग्यारसपुर
18. पचोर
19. गंजबासौदा
20. गौहरगंज

(ब) मिनी दुग्ध संयंत्र की सूची :–

1. बैतूल

नोट :– संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती है, तो वह भी सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024

प्रदर्श–02

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक ————————— को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्स ——————————— जिला —————————, जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र बैतूल एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में संयंत्र एवं अन्य कार्यो हेतु दुग्ध संघ की मांग अनुसार मानवदिवस के आधार पर सुरक्षाकर्मी (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षा ठेकेदार के रुप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :–

1. सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में दो वर्षो की अवधि के लिए निविदा प्रपत्र में वर्णित नियम एवं शर्तो के अधीन उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रेणी के सुरक्षाकर्मियों की प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा।

2. सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों **(प्रदर्श–1)** में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार भुगतान करने की शर्त के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में प्रतिदिन 170 सुरक्षाकर्मियों (अनुमानित) की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी :–

स्थान	उच्च कुशल सुरक्षाकर्मी	कुशल सुरक्षाकर्मी	अर्द्धकुशल सुरक्षाकर्मी	अकुशल सुरक्षाकर्मी	कुल सुरक्षाकर्मी
मुख्य डेयरी संयंत्र	3	–	100	–	103
पशु आहार संयंत्र पचामा	–	1	9	–	10
मिनी डेयरी संयंत्र	1	6	40	–	47
समस्त दुग्ध शीतकेन्द्र	1	–	9	–	10
कुलयोग	**5**	**7**	**158**	**–**	**170**

सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र (पचामा) के संयंत्र भवन, गोडाउन, कार्यालयीन संपत्ति एवं परिसर की दिन –रात सुरक्षा व्यवस्था करेगा। सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता समय–समय पर संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों के संचालन एवं गतिविधि स्तर के अनुसार घटाई–बढ़ाई जा सकेगी।

3. सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन प्रति पाली में प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षाकमियों की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा–समय सूचना मौखिक दी जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति/आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर उक्त सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

4. यदि सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करने में सुरक्षा ठेकेदार असफल होता है, तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सुरक्षा ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

5. सुरक्षा ठेकेदार को निम्नानुसार योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा –

(अ) सुरक्षा अधिकारी :– एनसीओ, सूबेदार से कम रेक न हो अथवा समकक्ष।

(ब) सुरक्षा पर्यवेक्षक :– नायक की रेंक से कम न हो अथवा समकक्ष।

(स) सुरक्षा गार्ड :–

(1) 12 वीं पास एवं

(2) एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का 3 वर्ष का अनुभव हो एवं

(3) A उँचाई – 5 फिट 6 इंच न्यूनतम

B सीना – 32–34 इंच न्यूनतम

C वजन – कम से कम 50 kg. लंबाई के अनुपात में

(द) गनमैन :– गनमैन रखे जाने का लायसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्य पर रखे जाने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उक्त सुरक्षाकर्मियों की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। उपरोक्त मापदण्डों को आवश्यकता अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6. सुरक्षा निधि :–

(1) सुरक्षा ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 15.00 लाख (रु पंद्रह लाख मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। यदि निविदाकार चाहे तो, सुरक्षा निधि (Security Deposit) एफ.डी.आर (FDR) में, जो कि निविदाकर्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त नाम से दो वर्ष छः माह या अनुबंध अवधि तक के लिये वैद्य होगी, जमा कर सकता है। एफ.डी. आर (FDR) निविदाकार द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में डिस्चार्ज / रिलीज (Discharge/Release) करके संघ में जमा कराना होगा। अनुबंध की अवधि में वृद्धि किये जाने पर तद्नुसार एफ.डी.आर (FDR) का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

(2) निविदा खुलने के पश्चात् एवं निविदा की वैधता की अवधि में सफल निविदाकार अर्थात सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निविदा में संशोधन किये जाने पर, जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं है, धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा निधि जमा नहीं करने अथवा 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सफल निविदाकार (एल–1) की पात्रता समाप्त मान्य करते हुये उनकी धरोहर राशि (Earnest Money) राशि जप्त कर ली जावेगी।

(3) सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात्, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त सुरक्षाकर्मियों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी राशि विधिवत रूप से जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी।

(4) जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. सुरक्षा ठेका संचालन की सामान्य शर्ते :–

(1) सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।

(2) यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

(3) यदि सुरक्षा ठेकेदार का मुख्यालय भोपाल शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे भोपाल शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

(4) प्रत्येक पाली में सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है, तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा । पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

(5) सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होगा। साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र पचामा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। सुरक्षा ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

(6) श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम् मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को संयंत्र एवं अन्य स्थानों में कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) सुरक्षा ठेकेदार को कार्य हेतु प्रबंधन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।

(8) ठेके के दौरान सुरक्षा ठेकेदार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य पर नहीं ले सकेगी। साथ ही सुरक्षाकर्मी, श्रमिक ठेका अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे।

(9) भविष्य में निर्मित आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

(10) यदि बाद में यह खुलासा होता है कि सुरक्षा ठेकेदार किसी संस्था की काली सूची में सम्मिलित है, तो सुरक्षा ठेकेदार की धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

(11) यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन'' हेतु अध्यक्ष / प्रशासक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. अनुबंध की अवधि / निरस्तीकरण :–

(1) यह अनुबंध दो वर्षो के लिए होगा तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर एक–एक वर्ष के आधार पर दो वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) यह अनुबंध सुरक्षा ठेकेदार अथवा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा दो माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंधकर्ता को सभी नियोजित सुरक्षाकर्मियों की वापसी सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से करना होगी।

(3) सुरक्षा ठेकेदार को, निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल स्वयं के व्यय पर राशि रू 1,000 / – (रू एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

(4) अनुबंध के संबंध में होने वाली सभी वैधानिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

(5) निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का होगा।

9. ठेके पर सुरक्षाकर्मियों को रखे जाने हेतु सुरक्षा ठेकेदार के लिए नियम एवं शर्ते :–

(1) प्रत्येक माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रदाय की गई सुरक्षाकर्मी सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।

(3) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निश्चित रहेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा मजदूरी राशि में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा तदानुसार ठेका सुरक्षाकर्मियों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

(4) सुरक्षा ठेकेदार किसी भी स्थिति में अनुबंध को या उसके किसी अंश को बिना भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म / एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

(5) सुरक्षा ठेकेदार को यह वचन पत्र व सहमति देना होगी की उसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षाकर्मी द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।

(6) सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा । साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत दुग्ध संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

(7) सुरक्षा ठेकेदार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर ही देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

10 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं दायित्व :–

(1) भोपाल डेरी प्लांट परिसर/ संबंद्ध दुग्ध शीत केन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की चोरी न हो इसकी जबावदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :–

(क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेयरी डाक, स्टोर, या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिर्टन स्लिप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेयरी डाक से या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जाये एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे।

(ख) क्रेट/केन/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मलित की जावेगी।

(ग) डेयरी डाक से क्रेट/केन/ढक्कन, डेरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबंधक (उत्पादन) उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबंधक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकांउट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा।

उपरोक्त बाहर गये क्रेट /केन/ढक्कन डेरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेरी प्लांट में इन क्रेट /केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबंधक

(उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंको एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा । संबधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर, मय दिनांक के करेंगे।

(घ) सुरक्षा एजेंसी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट /केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेंसी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबंधक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा। इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली वर्तमान क्रय दरों से सुरक्षा एजेंसी के अगले माह के देयकों से की जावेगी।

उत्पादन शाखा से संपादित कार्यो बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली प्रदर्श 3 पर संलग्न है।

(2) सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित किये जाने हेतु उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा तथा प्रबंधन को तद् विषयक सूचना देनी होगी। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा। साथ ही समय समय पर संघ के कर्मचारियों को अग्नि शमन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

(3) सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

(4) सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत, निषेधित एवं नशा करके कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे । सुरक्षा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति हथियार, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ व अन्य कोई अवांछित वस्तु लेकर परिसर में प्रवेश न करे। उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही करें। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

(5) सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि, वे कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करे। डेयरी परिसर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे एवं दोषी व्यक्ति के बारे में प्रशासन को अवगत करावें। अन्यथा आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जावेगा।

(6) सुरक्षा ठेकेदार दुग्ध संघ परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वे विफल होता है तो प्रबंधन द्वारा प्रति प्रकरण रू. 1000/– का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर किया जाकर वसूल किया जावेगा।

(7) दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास/मांगपत्र/आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य साम्रगी प्रदाय की जाती है, इसी प्रकार दुग्ध संघ से प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि, जो सामान गेटपास/चालान/ मांगपत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने, कम या अधिक होने पर जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी । सुरक्षा ठेकेदार को संघ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को गेट पास जारी करना होगा तथा वाहनों की एन्ट्री भी अनिवार्यतः करना होगी।

(8) सुरक्षा ठेकेदार प्रबंधन के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट आने—जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

11. उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों के लिये नियम एवं सेवा शर्ते :—

(1) प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के लिए 8 घंटे का कार्य अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी कार्य के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा ।

(2) सुरक्षाकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई सुरक्षाकर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना सुरक्षा ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षाकर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षा रूपये 1,000/— तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा संबंधित सुरक्षा को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।

(3) संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। सुरक्षाकर्मी द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के ऊपर रू. 500/— प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति प्रकरण का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

(4) प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

(5) संयंत्र परिसर में कोई भी सुरक्षाकर्मी टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/— प्रति सुरक्षा प्रतिदिन का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।

(6) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, पशु आहार संयंत्र पचामा, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्योहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारू संचालन हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।

(7) अनुबंधित सुरक्षाकर्मियों के भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में सुरक्षाकर्मियों का प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।

(8) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है।

(9) सुरक्षाकर्मियों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार को उक्त सुरक्षाकर्मियों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।

(10) ठेका सुरक्षाकर्मियों को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत सुरक्षा ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

12. सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्ते :–

(1) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, प्रभारी पशु आहार संयंत्र पचामा, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

(2) सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

(3) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।

(4) सुरक्षा ठेकेदार को श्रम नियमानुसार ठेका सुरक्षाकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम का भुगतान करना होगा।

(5) सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि सुरक्षा ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि सुरक्षा ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ सुरक्षा ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो सुरक्षा ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी।

(6) यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(7) सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर दुग्घ संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।

(8) सुरक्षाकर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी ।

(9) सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौत्रा लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे प्रत्येक त्रैमास के लिए टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

(10) सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 50,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

13. कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों के संबंध में सुरक्षा ठेकेदार के दायित्व :-

(1) सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

(2) सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गय समस्त सुरक्षाकर्मियों (पुरूष एवं महिला) को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, जूते, टोपी, बेल्ट, नाम पट्टी इत्यादि) एवं प्रोटेक्टिव गारमेंटस

अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि सुरक्षाकर्मी निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो रू. 100/– प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति सुरक्षाकर्मी राशि रू 1,500/– के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।

(4) निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षा का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षाकर्मी–वार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी सुरक्षा ठेकेदार पर लगाई जाएगी। सुरक्षा ठेकेदार यदि भोपाल शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, भोपाल कार्यालय का सब–कोड़ **(SubCode)** तत्काल लेना आवश्यक होगा, जिससे कि सुरक्षाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित सुरक्षाकर्मी को भुगतान किया जायेगा।

(5) सुरक्षाकर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक से अधिक पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

(6) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह 26 / 27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी सुरक्षा ठेकेदार को करना होगी।

(7) सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे सुरक्षाकर्मी (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित किये गये आयु, शिक्षा एवं अनुभव/कौशल की अर्हताओं के अनुरूप हो।

(8) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

(11) सुरक्षाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/ समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

(12) किसी सुरक्षाकर्मी के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर सुरक्षा ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

(13) सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षाकर्मियों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति सुरक्षाकर्मी रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षाकर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च सुरक्षा ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(14) सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षा देना होंगे। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षाकर्मी डेयरी संयंत्र/ दुग्ध शीतकेन्द्र /कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा दुग्घ संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति सुरक्षाकर्मी राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(15) प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित

सुरक्षाकर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षा आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि सुरक्षा ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

(16) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व गत माह में संयंत्र एवं अन्य स्थानों में कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर, शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीतकेन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड़ आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

(17) सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक सुरक्षा के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्घ संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का पृथक–पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि '' इस चालान द्वारा माह ....में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र पचामा/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल .... (संख्या) ठेका सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ/ ई.एस.आई अंशदान (....... प्रतिशत) राशि रु. .. .. जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षाकर्मी का नाम छोडा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।

सुरक्षा ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में सुरक्षा ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।

(18) ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत सुरक्षा ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है तथा सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. शास्ति / अर्थदण्ड :–

(1) प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी.एम. में दर्शित मात्रा के अनुसार ही माल लोडिंग कराना सुरक्षा ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा । दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर –बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है, तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में पंचनामें में संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उससे अधीन कार्यरत किसी कर्मचारी, के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(2) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/ मकौडे/ बाल/ कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी।

(3) सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षा की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं लिप्त सुरक्षाकर्मी को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।

(4) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ की सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं संभावित चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलंब युक्ति–युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। प्रकरण में दुग्घ संघ द्वारा घटना की जांच की जावेगी तथा जांच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा

निर्धारित की गई हांनि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में दुग्ध संघ सक्षम होगा।

(5) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निविदा/अनुबंध में उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली दुग्ध संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

(6) निविदा/अनुबंध की शर्तों में जहां उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान है किन्तु अर्थदण्ड की राशि अंकित नहीं है अथवा अर्थदण्ड निर्धारण के मापदण्ड स्पष्ट नही है, उक्त कंडिकाओं में अर्थदण्ड की राशि निम्न तालिका अनुसार अधिरोपित की जावेगी –

क्रमांक	विवरण	अर्थदण्ड की राशि रू
1	कंडिका का उल्लंघन प्रथम बार होने की स्थिति में	10,000/–
2	कंडिका का उल्लंघन द्वितीय बार होने की स्थिति में	20,000/–
3	कंडिका का उल्लंघन तृतीय बार होने की स्थिति में	30,000/–
4	कंडिका का उल्लंघन तीन से अधिक बार होने की स्थिति में	50,000/– (प्रत्येक बार)

उपरोक्त तालिका में दर्शित अर्थदण्ड संबंधी प्रावधान चोरी, हानि अथवा क्षति से संबंधित कंडिकाओं में प्रभावशील नहीं होंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा, जो कि दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(7) सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर दो माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

15. ठेके पर रखे गये सुरक्षाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–

(1) सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी ठेका सुरक्षा को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।

16. सुरक्षा ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी

17. सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु न्यूनतम मजदूरी दर पर .... प्रतिशत सर्विस चार्ज सुरक्षा ठेकेदार को देय होगा, जो कि संपूर्ण ठेका अवधि में लागू रहेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल**	**हस्ताक्षर सुरक्षा ठेकेदार**
स्थान –	नाम –
दिनांक –	
1. गवाह का नाम एवं पता	भोपाल कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई–मेल ....
2. गवाह का नाम एवं पता	

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

प्रदर्श–03

उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली :–

1. दुग्ध संकलन हेतु विभिन्न स्थानों पर जाने वाले टेंकर की पूर्ण प्रविष्टि की जावे तथा पिछली दिनांक में गये टेंकर की पूर्ण जानकारी दूसरे दिन निम्न दर्शाये फार्म में उत्पादन शाखा को प्रस्तुत की जावे :–

दिनांक	समय	टेंकर क्र.	स्थान जहां गये	वाहन चालक का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

2. विपणन शाखा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहनों को अंदर आने की व्यवस्था रखी जावे।
3. प्रत्येक वितरण वाहन में वितरण शाखा द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की संख्या से अधिक कर्मचारियों को 2 नं. गेट से अंदर नहीं आने दिया जावे।
4. वाहन सिक्युरिटी गार्ड की देखरेख में लोड होगा तथा चालान पर सुरक्षा गार्ड पूरा नाम लिखेगा फिर हस्ताक्षर करेगा।
5. गेट क्रमांक 2 पर जा रही वितरण वाहन की पूर्ण जांच के बाद ही प्रविष्टि होगी। दिनांक, समय, चालान क्रमांक, पैकेट तथा क्रेट की संख्या, वाहन क्रमांक तथा पर्यवेक्षक का नाम हस्ताक्षर आदि।
6. रिटर्न क्रेटस लाने वाली वाहन को क्रम से एक समय में दो वाहन ही अंदर आने दिया जावे। क्रेट की संख्या की गिनती कर उसे रिटर्न स्लिप दी जावे जिस पर सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाईजर का पूरा नाम लिखा होगा एवं हस्ताक्षर होंगे। क्रेट की संख्या अंको तथा शब्दों में होना आवश्यक है।
7. डाक पर जो वाहन लोड की जावेगी उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा गिना जावेगा उसके पश्चात वितरण शाखा का प्रतिनिधि गिनेगा। गिनने के पश्चात वाहन चालक को क्रेट प्राप्ति की पावती रिटर्न स्लिप तीन प्रतियों पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दी जावेगी। वाहन चालक से बाहर जाते समय पावती एक प्रति सुरक्षा शाखा द्वारी ली जावेगी।
8. प्रातः एवं शाम को प्राप्त रिटर्न क्रेट की जानकारी रजिस्टर में निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार दर्ज की जावेगी :–

दिनांक	समय	वाहन क.	चालान क	क्रेट की संख्या	सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

9. पिछली दिनांक से प्राप्त क्रेटस का रिकंसिलेशन प्रतिदिन उत्पादन शाखा में उपलब्ध विपणन शाखा के रिकार्ड से करवाया जावेगा।

10. क्रेटस का उपयोग केवल दूध एवं दूध के पदार्थ रखने हेतु है। अन्य कार्यो के लिये अन्य शाखा द्वारा इसका उपयोग वर्जित है तथा डाक से नीचे क्रेटस ले जाते हुये किसी कर्मचारी को देखा जावे तो तुरंत रोका जावे।
11. क्रेटस का भौतिक सत्यापन प्रतिदिन प्रातः वितरण के बाद तथा घी कक्ष का प्रातः 8 बजे प्रबंधक (सं.सं) द्वारा किया जावेगा। यह सत्यापन में ए.एस.ओ. स्तर की सिक्युरिटी की रिस्पॉनसिब्लिटी रहेगी।
12. भंडार में वापस की जाने वाली समस्त सामग्री की सुरक्षा गार्ड द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
13. घी कक्ष का कार्य समाप्त होने पर उसे सील किया जाता है इस कार्य हेतु ए.एस.ओ. स्तर का अधिकारी उपस्थित रहेगा।
14. घी कक्ष से तथा डी.एम. पर इश्यू होने वाले समस्त डी.एम. पर सुरक्षा गार्ड जांच कर हस्ताक्षर करेगा ।
15. घी शाखा या भंडार से वाहन लोड होते समय सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेगा तथा वाहन लोड होने पर डी.एम. से चैक कर डी.एम. पर हस्ताक्षर करेगा।
16. बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को गेट नं. 2 के अंदर नहीं जाने दिया जावे। समस्त आगंतुक एवं कर्मचारी टाइम आफिस गेट से आएं/जाएं।
17. दो पहिया वाहनों को गेट नं. 2 से अंदर नहीं आने दिया जावेगा।
18. उत्पादन शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी पारी अनुसार रहती है। निर्धारित लंच अवधि के अलावा उन्हें गेट से बाहर जाने पर रोक लगाई जावे। यदि डयूटी में लंच अवधि के अलावा कोई कर्मचारी बाहर धूमता हुआ पाया जावेगा तो सिक्युरिटी कार्य में लापरवाही मानी जावेगी।
19. ठेकेदार के सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही अंदर जाने दिया जावे।
20. अनाधिकृत व्यक्तियों को डेरी परिसर में नहीं आने दिया जावे।
21. दुग्ध की बोतल जो अन्य उपयोग में लाई जाती है पर नियंत्रण किया जावे।
22. यदि कोई व्यक्ति डी.एम. के साथ खाली क्रेट लेकर आता है तो डी.एम. के पीछे या अलग से एक स्लिप पर गेट पर ही लिखकर दिया जावे कि व्यक्ति के साथ कितनी क्रेट हैं।
23. प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अंदर आये क्रेट/केन के रिकार्ड विपणन शाखा, उत्पादन शाखा एवं सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखे गये रजिस्टरों के अनुसार रिकन्सीलेशन किया जावेगा। प्रतिदिन प्रातः रिर्टन आने से पूर्व सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाईजर, संसाधन अधीक्षक एवं विपणन लिपिक डेरी में बचे हुये क्रेट/केन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे व वस्तुस्थिति उन पर बंधनकारी होगी।
24. उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट/केन में रिकार्ड की तुलनानुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हैं तथा तत्काल इसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी। प्रशासन शाखा के माध्यम से ही संबंधित कटोत्रा किये जावेंगे। कटोत्रे की राशि सामग्री के वर्तमान क्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जावेगी ।
25. सुरक्षा एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंटस एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराये जावेंगे। ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 14 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता)......................(पंजीयन क्रमांक)............................. शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)....................(आयु)................(पता).................शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

प्रदर्श—05

(प्रपत्र क्रमांक 01 — तकनीकी अर्हता क्रमांक 18 के संबंध में राशि रू 100/— के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ—पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक)......................
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि :—

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूॅ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/इन्दौर/उज्जैन/ जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...................(आयु)...............(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूॅ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

<u>**प्रदर्श–06**</u>

(प्रपत्र क्रमांक 01 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 20 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता).....................(पंजीयन क्रमांक).............................
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम)...................(आयु)...............(पता)................शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता